रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072020-220643
CG-DL-E-23072020-220643

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2020/आषाढ़ 31, 1942
No. 276] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2020/ASHADHA 31, 1942

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 17 जून, 2020

फ.सं. CEA-PS-11-23(21)/2/2020-PSPA-I Division.—जबकि मेसर्स सिटक काबिनी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड (एस.के.आर.पी.एल.), जिसका पंजीकृत कार्यालय 507-508, अशोका एस्टेट, 24, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 है, ने पारेषण योजना "मेसर्स सिटक काबिनी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड के भुज, गुजरात में स्थित 300 मेगावाट विंड फार्म्स के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I दिनांक 19.09.2019 के द्वारा पारेषण योजना "मेसर्स सिटक काबिनी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड के भुज, गुजरात में स्थित 300 मेगावाट विंड फार्म्स के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम" के लिए मेसर्स एस.के.आर.पी.एल. को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "मेसर्स सिटक काबिनी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड के भुज, गुजरात में स्थित 300 मेगावाट विंड फार्म्स के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

(i) सिटक काबिनी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड – भुज-II PS 220 केवी एस/सी लाइन (AL59 Moose conductor के साथ)*

* लाइन की लंबाई लगभग 55 किमी है, जिसे एसकेआरपीएल पूलिंग स्टेशन से भुज-II पीएस तक 2 खंडों में लागू किया जाएगा, जो निम्नलिखित है:

(a) सेक्शन -1: एसकेआरपीएल स्विचयार्ड से एम/सी टावर शुरुवाती बिंदु तक डी/सी टावर पर 53 किमी 220 केवी एस/सी लाइन।

(b) सेक्शन -2: एम/सी टावर शुरुवाती बिंदु से भुज-II पीएस तक एम/सी टावरो (जिसमे 4 circuits शामिल है) 2 किमी 220 केवी एस/सी लाइन।

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

क्रम सं.	गांव का नाम	तालुका का नाम	जिला का नाम
1	जादोदर, कोटड़ा, जादोदर, काड़िया नाना, उखेड़ा, काड़िया मोटा, टोड़िया, हीरापार, टोडिया, रसालिया जुनू, खेम्बाड़ी मोटी, खोम्बाड़ी नानी, मोरे, नेत्रा, मथल, रामपार, देसलपार गुंटाली, सर्वा, जीनजय, उगेड़ी, मुरु, खिरासरा, राताडिया, विगोड़ी, अय्यर, तेजारा, नगवीरी, नवावस रवापार, अमारा, नादापा, घड़ानी, हरिपार, गजनसर, वालका नाना, वालका मोटा	नखत्राणा	कच्छ
2	जुनाचाई, मेघपार, मनका वंध, हरोदा, जारा, अमियु, ओदिना, मोर्गार, खटिया, दायापार, लखापर, गदूली, धरेसी, शियोट, अमरसर, छूगेड वंध, छूगेड	लखपत	कच्छ

मेसर्स सिटक काबिनी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है । अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स सिटक काबिनी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक को “मेसर्स सिटक काबिनी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड के भुज, गुजरात में स्थित 300 मेगावाट विंड फार्म्स के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम” पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक 07.12.2019 से 13.12.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

(v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

(vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vii) मेसर्स एस.के.आर.पी.एल. को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

पी.सी. कुरील, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./124/2020-21]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 17th June, 2020

F.No. CEA-PS-11-23(21)/2/2020-PSPA-I Division.—whereas M/s Sitac Kabini Renewables Private Limited (SKRPL), the applicant with its registered office at 507-508, Ashoka Estate, 24 Barakhamba Road, New Delhi – 110001, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity to M/s Sitac Kabini Renewables Private Limited for its proposed 300 MW wind farms in Bhuj, Gujarat".

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its file No. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division dated 19.09.2019 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Sitac Kabini Renewables Private Limited for the transmission scheme "Connectivity to M/s Sitac Kabini Renewables Private Limited for its proposed 300 MW wind farms in Bhuj, Gujarat".

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity to M/s Sitac Kabini Renewables Private Limited for its proposed 300 MW wind farms in Bhuj, Gujarat" with the following scope of work:

i. Sitac Kabini Renewables Private Limited – Bhuj-II PS 220 kV S/c line (with AL59 Moose conductor)*

* Line length is approx. 55 km, which would be implemented in two sections from SKRPL switchyard to Bhuj-II PS:

(a) Section 1: 53 km 220 kV S/c line on D/c towers from SKRPL switchyard to M/c tower starting point

(b) Section 2: 2 km 220 kV S/c line on M/c towers (comprising of 4 ckts) from M/c tower starting point to Bhuj-II PS

The overhead line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

S.No.	Village	Tehsil/ Taluka	District
1	JADODAR, KOTADA JADODAR, KADIYA NANA, UKHEDA, KADIYA MOTA, TODIYA, HIRAPAR TODIYA, RASALIYA JUNU, KHOMBHADI MOTI, KHOMBHADI NANI, MORAY, NETRA, MATHAL, RAMPAR, DESALPAR GUNTALI, SARWA, JINJAY, UGEDI, MURU, KHIRASRA, RATADIYA, VIGODI, AIYAR, TEJARA, NAGVIRI, NAWAWAS, RAWAPAR, AMARA, NADAPA, GHADANI, HARIPAR, GAJANSAR, WALKA NANA, WALKA MOTA	NAKHATRANA	KUTCH
2	JUNACHAI, MEGHPAR, MANKA WANDH, HARODA, JARA, AMIYU, ODINA, MORGAR, KHATIYA, DAYAPAR, LAKHAPAR, GADULI, DHARESI, SHIYOT, UMARSAR, CHHUGER WANDH, CHHUGER	LAKHPAT	KUTCH

M/s Sitac Kabini Renewables Private Limited (SKRPL) had complied with the MoP's procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above transmission scheme. Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Sitac Kabini Renewables Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

(i) The approval is granted for 25 years;

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity to M/s Sitac Kabini Renewables Private Limited for its proposed 300 MW wind farms in Bhuj, Gujarat". The details of the works are published in the Gazette of India dated 7th December – 13th December, 2019.

(v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

(vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vii) M/s SKRPL shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

P.C. KUREEL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./124/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2020.07.23 18:51:02 +05'30'